

दिनांक 10.02.2025 को निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र, सबौर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में आहूत शिकायत निवारण समिति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया -


1. निदेशक प्रशासन, बि.कृ.विश्व., सबौर
2. अधिष्ठाता (स्नातकोत्तर), बि.कृ.विश्व., सबौर
3. कुलसचिव, बि.कृ.विश्व., सबौर
4. नियंत्रक, बि.कृ.विश्व., सबौर
5. अंकेक्षण पदाधिकारी, बि.कृ.विश्व., सबौर


अध्यक्ष द्वारा शिकायत निवारण कोषांग में माह दिसम्बर, 2024 तक कर्मियों द्वारा प्राप्त शिकायत की सूचना समिति सदस्यों को दी गई। साथ ही पूर्व में शिकायत निवारण समिति को प्राप्त शिकायतों के अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए विचारोपरांत निम्नलिखित अनुशंसा की गयी :-


क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम/पदनाम/पदस्थापन	शिकायत बिन्दु	शिकायत कोषांग में प्राप्त आवेदन प्राप्ति की तिथि	समिति की अनुशंसा
1	श्रीमती नंदिता कुमारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार	पूर्व में पारित दंड के आदेश को निरस्त किये जाने के संबंध में	15.07.2023	समिति को निदेशक प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया की श्रीमती नंदिता कुमारी को पूर्व में पारित दण्ड की पुनः समीक्षा करते हुए नियमानुसार दण्ड अधिरोपित किया गया है। मामला संचिकास्त किया जाता है। साथ ही श्रीमती नंदिता कुमारी के दिनांक 14.11.2024 से दिनांक 27.01.2025 तक शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया गया है। कार्रवाई- निदेशक प्रसार शिक्षा
2	श्री प्रणय कुमार पंकज, कार्यालय अधीक्षक, उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय।	वेतन विसंगति को दूर किये जाने एवं ससमय प्रोन्नति के संबंध में	04.09.2023	निदेशक प्रशासन द्वारा समिति को सूचित किया गया कि श्री प्रणय कुमार पंकज के वेतन विसंगति के मामले के निस्पादन हेतु कृषि विभाग, बिहार सरकार को पत्रांक 586 दिनांक 19.07.2022 द्वारा विचारार्थ अनुरोध किया गया है। इनके मामले पर विचार किये जाने हेतु विभाग को स्मार पत्र के माध्यम से पुनः अनुरोध किया जायेगा। कार्रवाई- निदेशक प्रशासन
3	श्री अखिलेश्वर मेहतर, सेवानिवृत्त मासिक श्रमिक	पेंशन निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में।	28.12.2023	श्री अखिलेश्वर मेहतर के पेंशन निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत चर्चा हेतु इस बैठक में प्राचार्य, बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर को आमंत्रित किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गई की प्राचार्य द्वारा श्री मेहतर के पेंशन निर्धारण हेतु 15 दिनों के अंदर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अनुशंसा सहित पेंशन निर्धारण संबंधी प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि श्री अखिलेश्वर मेहतर को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। कार्रवाई- नियंत्रक, निदेशक प्रशासन एवं प्राचार्य, बिहार कृषि महा., सबौर
4	श्री मनोज कुमार मिश्रा, सहायक नियंत्रक, किशनगंज	एम.ए.सी.पी का वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में	08.04.2024	श्री मनोज कुमार मिश्रा के एम.ए.सी.पी का वित्तीय लाभ संबंधी आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।


5.	श्री शशिकांत शशि, सहायक निदेशक प्रशासन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर भागलपुर ।	प्रोन्नति एवं एम.ए.सी.पी का वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में	08.04.2024	श्री शशिकांत शशि के प्रोन्नति/एम.ए.सी.पी संबंधी आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। कार्रवाई— निदेशक प्रशासन ।
6.	श्री जितेन्द्र कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद	FDP के तहत Ph.D. अध्ययन में भेजे जाने हेतु	23.08.2024	विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मियों के सेवा मामले पर आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.A.Extn.4/18/2019-A-E.III (e-52000) दिनांक 20.08.2024 एवं कृषि विभाग, पटना के पत्रांक 84 दिनांक 09.01.2025 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में तत्काल मामला विचारणीय नहीं है। कार्रवाई— निदेशक प्रसार शिक्षा
7.	डॉ० कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, कटिहार।	Ph.D. उपाधि के आलोक में प्रदत्त संचयी वेतन वृद्धि के आधार पर वेतन निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में।	21.06.204	विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र के कर्मियों के सेवा मामले पर आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.A.Extn.4/18/2019-A-E.III (e-52000) दिनांक 20.08.2024 एवं कृषि विभाग, पटना के पत्रांक 84 दिनांक 09.01.2025 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में तत्काल मामला विचारणीय नहीं है। कार्रवाई— निदेशक प्रसार शिक्षा
8.	श्री सुधीर नयन, कलाकार सह छायाकार, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना।	एन०पी०एस० के स्थान पर पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने के संबंध में।	20.03.2024	एतद् मामले को विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति को भेजा गया है। कार्रवाई— निदेशक प्रशासन ।


धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



अंकेक्षण पदाधिकारी
बि.कृ.विश्व., सबौर
सदस्य सचिव


अधिष्ठाता (स्नातकोत्तर),
बि.कृ.विश्व., सबौर
सदस्य


निदेशक प्रशासन,
बि.कृ.विश्व., सबौर
सदस्य


नियंत्रक,
बि.कृ.विश्व., सबौर
सदस्य


कुलसचिव,
बि.कृ.विश्व., सबौर
सदस्य


निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र-सह-शिकायत
निवारण समिति, बि.कृ.विश्व., सबौर
अध्यक्ष